न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), घाटमपुर, कानपुर देहात

मूलवाद सं० 53/2018

UPRN180003142018

किस्मतुन बनाम कृष्ण आदि

दिनांक – 17/10/2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र 20 क 1 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी०पी०सी०

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादी उपस्थित है।

वादिनी के द्वारा प्रार्थना पत्र 20 क 1 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादिनी द्वारा दाखिल वाद में वाद का कारण उत्पन्न करने वाले अनिल द्विवेदी, अमित द्विवेदी पुत्रगण सियाराम व सियाराम पुत्र शिनारायन, जिनके द्वारा वाद का कारण उत्पन्न किया गया है। वाद पत्र व अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में लिखना छूट गया है जो वाद पत्र व अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पक्षकार प्रतिवादी सं० 4,5,6 बनाया जाना न्यायिक दृष्टि से अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि वादिनी द्वारा दाखिल वाद में छूट गये प्रतिवादीगण का नाम संशोधन कर बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तथा भविष्य में वाद के निस्तारण में सहायता मिलेगी। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 10, उपनियम (2) में उल्लेखनीय है कि "*न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर वह अगर न्यायसंगत समझे तो किसी भी व्यक्ति को वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ सकता है, या उसका नाम काट सकता है।*" अतः वादिनी का प्रार्थना पत्र 20 क 1 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 20 क 1 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाता है। वादिनी प्रार्थना पत्र में अंकित वांछित संशोधन नियत तिथि तक करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 21/11/2024 को पेश हो।

दिनांक – 17/10/2024

(इन्दिरा दानू)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर,कानपुर देहात
यू०पी० 3349

Digitally signed by INDIRA DANU
Date: 2024.10.17 15:00:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court